

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची – 834001
विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति
की अंतिम तिथि-16.02.2016

विज्ञापन संख्या-01/2016

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-148(16) दिनांक-07.01.2015 के द्वारा झारखण्ड राज्य के खाद्य सुरक्षा सेवा के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित प्रपत्र में आनलाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

1. (i) पद का नाम- खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी
(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	No. of vacancies
01	Unreserved	12
02	SC	03
03	ST	06
04	BC-I	02
05	BC-II	01
Total of (1) to (5)		24

(नोट :- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधियाचना के अनुसार कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।)

2. वेतनमान – PB-II- 9,300-34,800 (Grade Pay – 5,400)
3. पद – स्थायी
4. परीक्ष्यमान अवधि – 2 (दो) वर्ष
5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में डिग्री या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या मेडिसिन में डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

In English

A Degree in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Agriculture Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology or Master Degree in Chemistry or Degree in Medicine from a Recognized University.

अथवा

(ii) खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट किसी संस्था या संस्थान के अधीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो परन्तु इन नियमों के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका खाद्य की किसी वस्तु के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो।

6. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि : – 01.08.2015

(क) न्यूनतम उम्र सीमा : – 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-2096, दिनांक-25.04.2011 के अनुसार :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	शारीरिक रूप से अक्षम/सरकारी सेवक के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	40 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II	37 वर्ष	42 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II)	38 वर्ष	43 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	45 वर्ष

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-360, दिनांक-21.01.2003 के अनुसार :- राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट देय है।

7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

(क) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Multiple choice) एवं साक्षात्कार आयोजित की जायेगी।

(ख) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांक को जोड़कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक-13026 दिनांक-27.11.2012 के आलोक में मेधा सूची तैयार की जायेगी तथा संसूचित कोटिवार रिक्तियों के अनुरूप प्रशासी विभाग को नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नाम अनुशंसित किये जायेंगे।

(ग) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार :- लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों का एवं साक्षात्कार कुल 30 अंकों का होगा, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	विषय	पूर्णांक	समय	अभ्युक्ति
1	प्रथम पत्र :- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली 2011 तथा विनियम 2011 (Food Safety & Standards Act, 2006, Food Safety & Standards Rules & Regulation, 2011)	100	2 घंटे	सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य
2	द्वितीय पत्र :- खाद्य एवं पोषण से संबंधित सामान्य ज्ञान	100	2 घंटे	
3	साक्षात्कार	30		

(घ) न्यूनतम अहंतांक :- योग्य अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित अहंतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-II	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-I	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

8. (i) निःशक्त/दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि में प्रत्येक 1 घंटे पर 20 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा।
- (ii) जैसे निःशक्त अभ्यर्थी जिन्हें श्रुतलेखक/स्क्राइब सुविधा की आवश्यकता है उन्हें परीक्षा तिथि के तीन दिन पूर्व परीक्षा के केन्द्रधीक्षक को अपना आवेदन पत्र, निःशक्ता प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायेंगे।
- (iii) निःशक्त अभ्यर्थी को श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जैसे निःशक्त अभ्यर्थी जो अपने साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब नहीं लायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (iv) श्रुतलेखक/स्क्राइब 12 वीं कक्षा अथवा इण्टरमीडिएट (50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त न हो) से अधिक शिक्षित नहीं हो तथा वह अभ्यर्थी का निकट संबंधी नहीं हो।
9. अवसरों की संख्या – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड क पत्रांक-2959 दिनांक- 03.04.2013 द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों को निम्न रूप से रखा गया है :-
- (क) अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए – चार अवसर
- (ख) पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II के पुरुष उम्मीदवारों के लिए – पाँच अवसर
- (ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II के उम्मीदवारों के लिए)- छः अवसर
- (घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों के लिए – अवसरों की कोई सीमा नहीं।

10. आरक्षण :-

- (क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ख) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (ग) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से क्रमशः विभागीय पत्रांक-5682 दिनांक 22.10.2008 एवं विभागीय ज्ञापांक-10007 दिनांक 29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र-II में

निर्गत प्राधिकार, प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

- (घ) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु विहित प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र-II में निर्गत जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
- (ङ) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः—

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:—

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. परीक्षा शुल्क:—

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से **SBI Collect** पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) सामान्य, पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क **रु0-400 (चार सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।
- (iii) **परीक्षा शुल्क में छूट**— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क **रु0-100/- (एक सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (**Non Refundable**) होगा।
- (iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

13. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (क) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।
- (ख) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, “How to apply” अवश्य पढ। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ग) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (घ) **Online** आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी :-
 - (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी/डेयरी प्रौद्योगिकी/जैव प्रौद्योगिकी/तेल प्रौद्योगिकी/कृषि विज्ञान/पशु चिकित्सा विज्ञान/जैव रसायन विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान में डिग्री/रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या मेडिसिन में डिग्री।
 - (ii) उन्नत संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष

- (iii) जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
- (iv) अनुभव प्रमाण पत्र आदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे तथा साक्षात्कार के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं ऑनलाईन आवेदन में दी गयी सूचना तथा साक्षात्कार के समय दी गयी सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (ड.) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वहीं लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।
- (च) जन्म तिथि—आवेदक मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, अंकित जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करें।
- (छ) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा
- (ज) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

14. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक 02.02.2016 से 16.02.2016 रात 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं
- (ख) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र Online Application System के माध्यम से दिनांक 16.02.2016 रात्रि 11.45 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।
- (ग) दिनांक—16.02.2016 के बाद दिनांक—19.02.2016 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।